



ST. MARY'S ENGLISH MEDIUM SCHOOL

WARD NO. 2, BHATERA -BALAGHAT- (M.P.) -481001, Ph.: 0756629004

Affiliated to Central Board of Secondary Education (C.B.S.E), New Delhi

CBSE Affiliation No.-1030468, School Code No.-50433, DISC code: 23450121701

Website:-stmarysschoolbalaghat.com,

Email id: stmarys_schoolbgt@rediffmail.com

Ref No.....

Date: 01/04/2025

This is to inform you that the "Policy on School Bag -2020" is implementing in our school as per the order of the govt. department. The main aim of this is to reduce the weight of the school bag of the students, free from the study stress and having joyful learning in the school.

The following steps we are taking for the above said reasons are:-

- 1) Using 100 pages note books in all the classes.
- 2) Some of their books will be keeping in the school.
- 5) One Bagless day in a week.
- 6) Notice is issued to the parents regarding the Policy.
- 7) Asking the children not to bring water bottles and even if they are bringing allowed only small bottles.
- 8) Daily monitoring the weight of the bag by the teachers.
- 9) Timely information to the parents regarding the Policy on School Bag -2020

Principal

Principal

St. Mary's English Medium School,
W.No.2,Bhatara,Balaghat (M.P.)
481001

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालाघाट (म0प्र0)

पता - कार्यालय नवीन बल्लेबट्ट परिसर बालाघाट, ईमेल - deobalaghatmp@gmail.com

क्रमांक/स्टेनो/स्कूल बैग पालिसी/2025/23-18-2318
प्रति,

बालाघाट दिनांक 15.04.25

समस्त प्राचार्य/प्रधानपाठक शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालय
(स्टेट बोर्ड/सीबीएसई) प्रा0शा0/मा0शा0/हाईस्कूल/उ0मा0वि0
जिला बालाघाट

विषय :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु "स्कूल बैग पॉलिसी 2020" के निर्देशों के पालन बाबद।
संदर्भ :- 1- लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक 354 भोपाल दिनांक 16-02-2024
2-कार्यालयीन पृ0क्रमांक/मान्यता/2024/947 बालाघाट दिनांक 23-02-2024 एवं पत्र क्रमांक/
स्टेनो/स्कूल बैग पालिसी / 2024/ 978 बालाघाट दिनांक 23-02-2024

-----00-----

विषयान्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु "स्कूल बैग पॉलिसी 2020" के अनुसार समस्त

शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों हेतु कक्षावार बस्ते के वजन की सीमा निम्नानुसार निर्धारित है :-

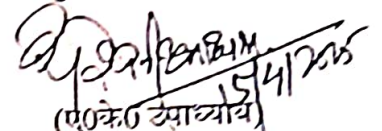
स0क्र0	कक्षा	बैग के वजन की सीमा
1	पहली कक्षा	1.6 किग्रा - 2.2 किग्रा
2	दूसरी कक्षा	1.6 किग्रा - 2.2 किग्रा
3	तीसरी कक्षा	1.7 किग्रा - 2.5 किग्रा
4	चौथी कक्षा	1.7 किग्रा - 2.5 किग्रा
5	पाँचवी कक्षा	1.7 किग्रा - 2.5 किग्रा
6	छठवी कक्षा	2.0 किग्रा - 3.0 किग्रा
7	सातवी कक्षा	2.0 किग्रा - 3.0 किग्रा
8	आठवीं कक्षा	2.5 किग्रा - 4.0 किग्रा
9	नौवीं कक्षा	2.5 किग्रा - 4.5 किग्रा
10	दसवीं कक्षा	2.5 किग्रा - 4.5 किग्रा
11	ग्यारहवीं कक्षा	बस्ते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न विषय स्ट्रीम के आधार पर तय किया जाएगा।
12	बारहवीं कक्षा	

अन्य निर्देश निम्नानुसार है :-

- 1- प्रत्येक शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर बस्ते के वजन का चार्ट प्रदर्शित किया जाए।
- 2- कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाए, कक्षा 3 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह 2 घण्टे, कक्षा 6वीं से 8वीं तक प्रतिदिन 1 घण्टे तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 2 घण्टे का ही गृह कार्य दिया जाए।
- 3- शाला प्रबंधन समिति के द्वारा ऐसी समय-सारणी तैयार की जाए, जिससे विद्यार्थियों को प्रतिदिन सभी पुस्तकें/अभ्यास पुस्तिकाएँ/कॉपियां नहीं लानी पड़े और बस्ते का वजन निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
- 4- शाला प्रबंधन द्वारा कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं, वर्कबुक एवं अन्य आवश्यक सामग्री को शाला में ही रखने की व्यवस्था की जाए।
- 5- कम्प्यूटर नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, खेल एवं कला की कक्षाएं के लिए कक्षाएं बिना पुस्तकों के ही लगाई जाए।

- 6- विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन बैग विहीन दिवस के रूप में निर्धारित किया जाए। विद्यालयों में इस दिवस व्यवसायिक कार्यानुभव से संबंधित गतिविधियां संपन्न कराई जाए।
- 7- विद्यार्थी के बस्ते का वजन निर्धारित सीमा में ही है इस हेतु जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रत्येक तीन माह में शासकीय/ अशासकीय /अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्कूल बैग की जांच करावेंगे। जांच में निर्धारित सीमा से बैग का वजन अधिक पाए जाने पर विद्यालय प्रबंधन से स्कूल बैग पॉलिसी - 2020 के उक्त निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

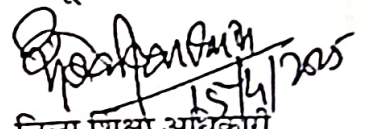
शैक्षणिक सत्र 2025-26 प्रारंभ हो चुका है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु “स्कूल बैग पॉलिसी 2020” के संबंध में जिले के समस्त शासकीय/ अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


(ए०के० व्याघ्र) 15/4/2025
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बालाघाट

पृ०क्र०/स्टेनो/ स्कूल बैग पालिसी/2025/23/3
प्रतिलिपि :-

बालाघाट दिनांक

- 1- आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- कलेक्टर जिला बालाघाट की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 4- संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 5- सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला बालाघाट की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 6- जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 7- समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8- समस्त विकासखण्ड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बालाघाट